पत्र संख्या-स्था-5(ग)-सामान्य पदोन्नति वै0सहा0 ग्रेड-2 (2022-23)// 1489 //वाणिज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराज0 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक 21 जून, 2023

-::आदेश::-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2016 में दिये गये प्राविधानानुसार वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित आशुलिपिकों (वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 2800, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-5) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 (वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-6) के पद पर चयन वर्ष 2022-23 के लिए विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुसार पदोन्नत करते हुए उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान/कार्यालय में तैनात किया जाता है:-

क्रमांक	ज्येष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम सर्वश्री	पिता/ पति का नाम सर्वश्री	वर्तमान तैनाती का जोन/सम्भाग
01	02	03	04	05
1	353	श्री राम किशोर	श्री राम भरोसे	सुल्तानपुर
2	558	श्री विमल कुमार रावत	श्री श्रीराम	लखनऊ
3	559	सुश्री तृप्ति अग्निहोत्री	स्व0 उमाशंकर अग्निहोत्री	कानपुर

2. उपरोक्त क्रमांक-1 (ज्येष्ठता क्रमांक 353) पर अंकित कर्मचारी की पदोन्नति मा0 अधिकरण में योजित निर्देश याचिका संख्या-1633/13 राम किशोर बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की गयी है।

3. सम्बन्धित जोनल/सम्भागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति के पद पर प्रत्येक दशा में दिनांक 30-06-2023 तक कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त पदोन्नत किये गये कर्मचारियों में से यदि किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कोई कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो तो इस सम्बन्ध में वह अपना लिखित अनुरोध पत्र सम्भागीय अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक दशा में दिनांक 15-07-2023 तक मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

5. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/ जोनल अधिकारी/ सम्भागीय अधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों में से यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो अथवा प्रस्तावित हो/ सतर्कता जांच आदि चल रही हो अथवा सत्यनिष्ठा संदिग्ध की गयी हो व कोई दण्डादेश निर्गत किया गया है तो ऐसे कर्मचारी पर यह पदोन्नति आदेश लागू नहीं होगा और सम्बन्धित कर्मचारी पर यह पदोन्नति आदेश **क्रियान्वित न कराया जाय अपितु इसकी सूचना अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से मुख्यालय को तुरन्त उपलब्ध करायी जाय।**

6. वर्तमान समय में यदि कोई कर्मचारी उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-05 में दर्शित कार्यालय/ स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यालय/ स्थान पर कार्यरत हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तद्नुसार संशोधित माना जाए। सम्बन्धित जोनल/ सम्भागीय अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारियों को उक्त पदोन्नति आदेश की प्रति तुरन्त तामील कराना सुनिश्चित करें।

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर
प्र0-अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

steno to pa-2 promotion

D.C.(I.T.) 21/06/2023 978

2. सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित कर्मचारियों को नाम से।
7. स्था-6 सामान्य पटल, राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
8. चरित्र पंजिका सेल, राज्य कर, मुख्यालय।

20/06/2023

(दिनेश कुमार वर्मा)
संयुक्त कमिश्नर (स्था0 अराज0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

steno to pa-2 promotion